लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता (देहरादून) के माह 04/2012 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर.एन.यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी. के. मट्टू,

वित्तीय वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/07/16 से 22/07/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 06/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्षों नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।
   1. श्री बी.के.एस. यादव 02.06.2011 से 18.07.2011 तक
   2. श्री आर. एस. बुन्देला 19.07.2011 से 31.01.2013 तक
   3. श्री विनय कुमार 01.02.2013 से 31.10.2013 तक
   4. श्री जे.सी. खुल्बे 01.11.2013 से अब तक

क्रम सं॰	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

4.अप्रस्तुत अभिलेख- शून्य

5. सतत अनियमितताए-शून्य

6. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख में)

		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
2012-13	2401	94.50	109.46	56.53	109.44
2013-14	2401	73.60	138.25	68.30	135.22
2014-15	2401	77.50	170.16	68.77	167.66
2015-16	2401	37.15	162.69	62.88	162.54
2016-17	2401	3.22	70.67	2.86	42.59

भाग दो 'अ'

प्रस्तर 1- उपखनिज पर रायल्टी की कटौती नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप ` 4.51 लाख की शासकीय राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013 अधिसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लिखित रायल्टी दरों को स्तम्भ-2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त/लागू होगी। अधिसूचनानुसार उपखनिजों बजरी (Sand) की रायल्टी दर ` 90/- प्रति घन मी. तथा नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (Stone) पर ` 80/- प्रति घन मी. की दर से रायल्टी की कटौती कर सम्बन्धित उपखनिज शीर्ष में जमा किया जाना था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता देरहादून के अभिलेखों की नमूना जांच (07/2016) में पाया गया कि निष्पादित कार्यो में प्रयुक्त उपखनिज बोल्डर्स (पत्थर) एवं बजरी (sand)के लिए रायल्टी की कटौती नहीं की गयी थी। ईकाई के अन्तर्गत कार्ययोजनाओं हेतु उपयोग में लायी गयी माप पुस्तिकाओं की माप के आधार पर कार्य योजना में Collected Stone की मात्रा 5215.00 घन मी. (2315.05 + 2899.95 घनमी.) एवं Collected Sand की मात्रा 378.00 घन मी. (345.60 +32.40 घन मी.) प्रयुक्त की गयी थी (अनुलग्नक-'क' एवं अनुलग्नक-'ख' के अनु.)। पत्थर (Stone) की उक्त मात्रा पर

तत्समय लागू दर से देय रायल्टी ` 417200.00 (` 185204.00 + ` 231996.00 ) एवं बजरी (Sand) की उक्त मात्रा पर लागू दर से देय रायल्टी ` 34,020.00 (` 31104.00 + 2916.00) हुयी, परन्तु उक्त दोनो मदों Stone एवं Sand पर कुल ` 4.51 लाख की (` 4.17 + 0.34 = 4.51 लाख) देय रायल्टी की कटौती संबंधित बिलों से नहीं की गयी, जिससे देय रायल्टी संबंधित उपखनिज शीर्ष में जमा नहीं की जा सकी, परिणाम स्वरूप ` 4.51 लाख के शासकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि भूमि संरक्षण कार्यों में पत्थरों का उपरी पर्त से चुगान किया जाता है न कि खनन होता है जिसका भुगतान श्रमिकों को कर दिया जाता है ईकाई क्षेत्र के अन्तर्गत आज तक उक्त प्रक्रिया प्रचलन में नही आयी। भविष्य में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत पालन किया जायेगा।

ईकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य में प्रयुक्त पत्थर (Stone) एवं बजरी (Sand) के लिए कोई रायल्टी जमा नही की गयी थी। जबकि इसके लिए देय रायल्टी इकाई द्वारा कटौती कर जमा किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार कार्य में प्रयुक्त उपखनिज पत्थर (Stone) एवं बजरी (Sand) पर संबंधित बिलों से देय रायल्टी की कटौती नहीं कर, रायल्टी संबंधित उपखनिज शीर्ष में जमा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 4.51 लाख के शासकीय राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 71 प्रतिशत की कमी।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (07/2016) में पाया गया कि माह 03/2016 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या के अनुसार वर्ष 2015-16 में योजनाओं की निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष क्रमिक उपचारित क्षेत्र (पूर्ति) की स्थिति निम्नवत थीः

क्रम सं.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (है.)	क्रमिक उपचारित क्षेत्र (पूर्ति) (है.)	लक्ष्य पूर्ति में कमी प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	दैवीय आपदा (RKVY)	267.66	108.80	59%
2.	जल संभरण	100.00	18.20	82%
3.	अनु. जनजाति नई योजना	783.90	208.00	73%
योग		**1151.56**	**335.00**	**71%**

ईकाई के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में दैवीय आपदा (RKVY), जल संभरण तथा अनु. जनजाति नई योजना का कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1151.56 (है.) था, जिसके सापेक्ष कुल उपचारित क्षेत्र (पूर्ति) मात्र 335.00 (है.) थी, जो कुल भौतिक लक्ष्य का मात्र 29 प्रतिशत था। इस प्रकार भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 71 प्रतिशत की कमी रही।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने अवगत कराया कि RKVY दैवीय आपदा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय तकनीकी लेखा समिति से अनुमोदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ अगले वर्ष में लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी। जल संभरण योजना के भौतिक लक्ष्य वित्तीय आवंटन की प्रत्याशा में दर्शाये गये वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण भौतिक प्रगति कम हुई। अनु. जनजाति बाहुल्य ग्रामों की योजना में कुल 40 लाख का धनावंटन हुआ जिनमें भौतिक लक्ष्य 309 (हैक्ट.) थे जो कि शत प्रतिशत पूर्ण कर लिये गये, दर्शाये गये भौतिक लक्ष्य त्रुटिवश दर्शाये गये है।

ईकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति कि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में कमी की पुष्टि होती है क्योंकि निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1151.56 (है.) के सापेक्ष मात्र 335.00 (है.) लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी थी तथा ईकाई ने स्वीकार किया कि अगले वर्ष में लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2015-16 में योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 71 प्रतिशत की कमी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता (देहरादून)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II